उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

संख्या –3364–अ0प्र0–07 / पाकालि / 14–15–अ0प्र0–07 / 13 — दिनांक 02.07.2014

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अवर अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी / स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं0–485–ए–आर / राविपि–01–28–एआर / 89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेगे।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर,लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :–

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम / पिता का नाम / ट्रेड / जन्मतिथि / सेवानिवृत्ति की तिथि / गृह जनपद / वरिष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती	प्रोन्नति पश्चात् तैनाती / आवंटन ईकाई	अभिज्ञान संख्या
1	श्री कर्मवीर सिंह / श्री राम सेवक / वि0 / 15.01.1979 / 31.01.2039 / मैनपुरी / 8649	वि0नग0वि0म0, अलीगढ	दक्षिणांचल, आगरा	2014387

सभी अवर अभियन्ताओं सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेगे कि:–

(क) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।

(ख) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।

(ग) उपर्युक्त सूची मे नामित अवर अभियन्ता के विरूद्ध प्रकीर्ण धनराशि / प्रत्याप्ति है तो प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि / प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।

सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा वे उपर्युक्त आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगें तत्पश्चात एक माह में कार्यभार ग्रहण कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या-3364-अ0प्र0-07/पाकालि/2014/तद्दिनांक (02.07.2014)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि संबंधित अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु अवमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि :-

(क) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।

(ख) अवर अभियन्ता के विरूद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रकरण न चल रहा हो।

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/निदेशक (वितरण)/निदेशक(वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
5. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारी का प्रशिक्षण पाठ्क्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करे।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
7. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पा0का0लि0।
8. अधिशासी अभियन्ता (Website) उ0प्र0 पाकालि शक्ति भवन, लखनऊ।
9. सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 पा0का0लि0।
10. उपसचिव (अ0प्र0-03) उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अनुभाग अधिकारी, (अ0प्र0-03/04)/गोपन अनुभाग, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. संबंधित अधिकारीगण।
14. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव